

आलय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

मु. सं.

97/2023

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए।

दावा

04.09.23

यह वादपत्र वादी की ओर से श्री धर्मसिंह राजपूर एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.9.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

20.10.23

आज पत्रावली पेश हुई।
वकील बादी उपस्थित। वास्ते तलबी
दिनांक 30.10.23 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

03.01.24

बादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आज पत्रावली तलब की गई। पक्षकारण में आपसी राजीनामा हो जाने के कारण वादपत्र को खोगे नहीं चलना चाहते है। साथ ही बादी द्वारा प्रार्थना पत्र में जोहिर किया है कि वाद नहीं चलने के कारण दावा कोर्टप्रेस में रजिस्ट्रिज कर दिया जावे। बादी का सत्यापन श्री धर्मसिंह राजपूर एडवोकेट द्वारा किया गया। हमने बादी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादपत्र तलबी

Not Pross

21/1/2024

31/1/24
(D.R.A.)

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

मु. सं.

तारीख हुकम

के स्तर पर जैरकार है। कौरी द्वारा वादख
 नोट प्रेस किया जाता है तो किसी प्रकार
 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर: प्राथिक पर
 कौरी स्वीकार योग्य है। कौरी का बाद कौरी
 द्वारा छोटे नहीं चले के कारण रखा रज
 किया जाता है। फत्रावली फंसल शुमार होकर
 भग्कर से कम है।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 महवा जिल्हा दौसा

Recd